

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION No. 19 of 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 679 OF 2023

IN THE MATTER OF:-

NISHANT SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

ANNAPURNA HOSTEL & ORS.

....RESPONDENT(S)

INDEX

| SL. NO. | PARTICULARS | PAGES |
|---------|---|-------|
| 1. | Response/Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board. | 1-3 |
| 2 | <u>ANNEXURE-1</u> True copy of letter dated 09.10.2025 | 4-47 |
| 3 | <u>ANNEXURE-2</u> True copy of the letter dated 17.10.2025 | 48-50 |
| 4 | <u>ANNEXURE-3</u> Copy of the Summary | 51-52 |

NEW DELHI

DATED: 30.10.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI,

ORIGINAL APPLICATION NO. 679 OF 2023
(EA No. 19/2025)



IN THE MATTER OF:-
NISHANT SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

ANNAPURNA HOSTEL & ORS.

....RESPONDENT(S)

RESPONSE/REPLY ON BEHALF OF U.P. POLLUTION
CONTROL BOARD

I, Vikas Mishra, S/o. Shri Ganga Sharan Misra, aged about 45 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is a Regional officer of the respondent of UPPCB, in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.
2. That Hon'ble Tribunal passed order on dated 30.07.2025, relevant portion of said order are reproduced below :-



"...6. Learned Counsel for UPPCB submits that now fresh inspection will be done and source of water including extraction of ground water by these hostels will be ascertained and appropriate action will be ensured. He has sought three weeks' time to file the action taken report.

3. That the present affidavit is being filed on behalf of the UPPCB pursuant to the order dated 30.07.2025 passed by Hon'ble Tribunal.
4. That RO, UPPCB, Greater Noida vide letter dated 26.07.2025 has sent a letter to Hydrologist, U.P. Ground Water Department for taking action against abstracting ground water without obtaining NOC. In continuation of that letter Executive Engineer, U.P. Ground Water Department vide letter dated 09.10.2025 has replied, according to reply notices has been sent to concerned hostels vide letter dated 04.10.2025. Copy of the said reply is being enclosed herewith and marked as Annexure-1.
5. That further RO, UPPCB, Greater Noida vide letter dated 17.10.2025 has sent a letter to Executive Engineer, U.P. Ground Water Department to obtain detailed action taken report. Copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as Annexure-2.
6. That In pursuance of 27 show cause notices issued by UPPCB, closure order of DG sets has been issued vide dated 29.10.2025 against 23 hostel (non-compliant DG sets) out of 27 hostels, 02 hostels has been removed their DG sets, 01 hostel has been installed RECD on DG sets with proper stack



and 01 hostel has found closed. Copy of the summary is being enclosed herewith and marked as Annexure-3.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above noted deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing material has been concealed there form.

VERIFIED ON THIS DAY THE 29th DAY OF OCTOBER, 2025 AT
G.B. NAGAR


DEPONENT



ATTESTED
29/10/2025
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ग्रेटर नोएडा।

पत्रांक:- 84 NBF भू0ज0वि/एक्ट(एन0जी0टी0 679/2023)-25 गौतमबुद्धनगर दिनांक: 9.10.2025
679

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-679/2023 (ई0ए0 19/2025) निशान्त सिंह बन्नाम अन्नापूर्णा हॉस्टल व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में आपके पत्र सं0-499/NGT-68/2025 के क्रम में 41 छात्रावास का निरीक्षण भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश छात्रावास में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु बोरवेल स्थापित पाये गये। किसी भी छात्रावास संचालक के पास भूगर्भ जल निष्कर्षण की अनुमति नहीं थी। अनुमति प्राप्त करने हेतु सभी छात्रावास संचालकों को नोटिस दिया गया। (नोटिस सूची संलग्न)

कृत कार्यवाही आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


7.10.25
(विश्वजीत सिंह)
नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, महोदया गौतमबुद्धनगर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, महोदय गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी/सदस्य
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18, असल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 103 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 04/10/2025

M/s EZ Stays
Hostel (Mondela Mansion)

Plot No-13 B, H.P.-3

G. B. Nagar,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित वा अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं सम्यक् संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकृषि उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अकृषि रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधायकी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशाना सिंह बनाम अनपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अकृषि रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्काशन अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या विशेष विवर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिवसित की जा सकती है।


जिला अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


जिला अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियाना,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 104 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


Fortune by Hive,
Knowledge Park-3
Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुयायिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वॉरन्ट 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वॉरन्ट जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सञ्चय उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्रिप्लिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराना जगत अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

सा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधायकी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अल्पपूर्ण होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सर्वमॉनिटरिंग के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सर्वमॉनिटरिंग स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई की- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वॉरन्ट को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पौच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिस्ति- निम्नलिखित को सादर सूचनाएं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- 102 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0-679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 24/10/2025

M/s Ampurna

Hestel Infront

of Dr. Chauhan Sangini

Hospital, G. B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुबागिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये कर्मामन में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

सा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 गिरान्त सिंह बनाम अन्वृत्त होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय-08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा पॉष लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिराशी अभियन्ता,
भूमर्ग जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गौल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 101 / मू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एकट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S KCC Institute,
Plot No. 2B, 2C,
H.P. - 3, C.B. Nagar

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूमर्ग जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूमर्ग जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमर्ग दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूमर्ग जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूमर्ग जल का व्यवसाय अथवा अर्द्ध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति घोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति घोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संग्रह उपररुध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। आ. जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मू० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यार्थी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सर्वनासिबल के माध्यम से अर्द्ध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सर्वनासिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश वित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके घोरवेल को सील करारो हुये उ०प्र० भूमर्ग जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करारो हुये जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेखित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मू०ज०वि / एन०जी०टी० / एकट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिरिति- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 100 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S Siddhi Vmatak
Girls Hostel,
Plot No-A-1, K.P.-3
G.B. Nagar

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुयायिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकैष उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अकैष रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरटेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरटेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। आ-जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत करना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यारम्भ प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अकैष रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि कर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरटेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरहित की जा सकती है।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोष्प लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 99 / भूज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S E2 stays Hostel
(Neeraja Residency),
Plot-No-6D, H.P. 3,
G. B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुसंधानिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति कोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति कोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचारणीय प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 गिशांत सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्वर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके कोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।




नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अनियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गौल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 98 / भूज0वि/एन0जी0टी0-679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S Ampurna Hostel
(Block-F) Plot No-47,
Nimali, K.P. 3, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समवर्द्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति घंटे 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति घंटे जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपररध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

श0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सर्वमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सर्वमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- yishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश विंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके घंटे को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अड्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेखित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिकारी अधिनियम,
भूमि जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
एनजीडी-18, अंतर्गत प्लॉट-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 97 / भूजोवि / एनजीडी-18-679 / 2023 / एक्ट(एनजीडी)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025

M/S Annpurna
Hostel, Plot No-C.25
K.P.-3, G.B.Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुसूचित विषयों का उपबन्ध करने के लिये कर्तव्य में उत्तर प्रदेश भूमि जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तनी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं सम्यक् संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूमि जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यात की गयी। राजस्व के संग्रह में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से भूमि दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अशुद्ध उपयोग एवं भूमि जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूमि जल का व्यवसाय अथवा अशुद्ध रूप से दोहन अथवा अनधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति दोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति दोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक) को साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के शक्य उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बर्धित करते हैं। उक्त जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा द्विलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो जाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विद्यमान किया गया है।

श्री 0 एनजीडी, नई दिल्ली में विधायकी प्रकरण 00/एन संख्या-679/2023 विश्वाजी सिंह बनान अनुपूर्वा होस्टल व अन्य में उचित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संग्रह में आया है कि आपके द्वारा सार्वसिबल के माध्यम से अशुद्ध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सार्वसिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सार्वसिबल अधिनियम की 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश वित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके दोरवेल को रीटल करते हुये 00/एन भूमि जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1)-(ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूमि जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



जिला भूमि जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूजोवि / एनजीडी-18 / एक्ट(एनजीडी)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूमि जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूमि जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


गौतम अधिकारी
जिला भूमि जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलरु लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 96 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S Simran Gurle
Hostel, Plot No-C-25,
K. P.-3, G. B. Nagar.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये कर्तव्य में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समव्यवह संघालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) निवन्धावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपररुध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्त्वादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्ण होस्टल व अन्य में फारि आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशनल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कासन अथवा सबमिशनल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 95 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S White House
Hostel, Plot No-04A/1,
H.P.-3, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) निवन्मावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपररथ अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवा जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचारार्थी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निरान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशन के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिशन स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- yishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सीस करतों हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिविरोधित की जा सकती है।



नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिरिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादरय सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 94 / मूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025

M/S Shiv Shakti
Home, Plot No-31C
H.P.-3, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुबागिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं सम्यक् संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जाएगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत करना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निरान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सभमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सभमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये 30प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 93 / भूज०वि/एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


AS
M/S Boys Hostel / EZ-stays
(Bosa Cottage - 2)
Plot No-A-39, K-P-2,
G. B. Nagar

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समबन्ध संघालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) निवमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अशुद्ध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अशुद्ध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

स० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सर्वमर्सिबल के माध्यम से अशुद्ध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्वहन अथवा सर्वमर्सिबल रक्षापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या विशेष मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरेल को सील करके हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिसूचित की जा सकती है।



जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज०वि/एन०जी०टी०/एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिष्ठिति- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिराज्सी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोल्फ सिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 92 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025

M/S Raksha
Girls Hostel,
Plot No-12 A, K.P.-3,
G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुबागिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपरक अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

श्री 01 एन०जी०टी० नई दिल्ली में विद्यार्थी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अनापूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्त्रिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमिस्त्रिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिराशी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18, अंसल गौलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 91 / मूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/S Nalanda
Heaven (Girls Hostel),
Plot No-A-25, K.P.-3
G.B. Nagar,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुवांशिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं सम्यक् संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जलपद में इस प्रकार के संग्रह्य उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन न हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की धारदशी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशन के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिशन स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करके हुवे उ0ओ भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अड्याध-08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुवे जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक सिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 90 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/2025


M/s Vanya
Residency, Plot No-8B,
H.P.- 3, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुभाषिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समबद्ध संवाहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये दिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकैष उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अपेक्ष रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति घोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति घोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सक्षेय उपरन्ध अधिनियम के उदरयो को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0. नई दिल्ली में विधायक प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अल्पपूर्ण होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशनल के माध्यम से अपेक्ष रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्काषण अथवा सबमिशनल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई की- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके घोरवेल को सील करके हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करके हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसारी अनियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 89 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 04/10/25


m/s Galaxy Residency,
Plot No- A-2
K.P. :- 3, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) निवृत्तावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति कोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति कोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपररथ अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचारार्थी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्ड के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्ड स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश त्रि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके कोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेपित की जा सकती है।



नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिकाारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 88 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक- 4/10/25


M/s The Castle Living
(Boys Hostel)
K.P.-3, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरपेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरपेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत शहरत भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत करना तथा द्विलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की वारदशी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विधायकी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशाना सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में धारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशन के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिशन स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अनिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरपेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिसूचित की जा सकती है।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

1
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गौत्यक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 87 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25


M/s E Z Stage
Hostel (Bose Cottage),
Plot No-91, K.P. III
G. B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, निबंधन तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये कर्मान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राधानों के सुगम एवं समबद्ध संघालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अथैध उपचोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्राधान किये गये है।

उक्ता कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अथैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेय उपराध अधिनियम के उदरसों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

सा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नापूर्ण होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सवमर्सिबल के मध्यम से अथैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सवमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के मध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



मैटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

मैटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिराशी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 86 / भूजलवि/एनजीटी0-679/2023/एक्ट(एनओसी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 4/10/25


M/s EB Stays
Hostel (Vrudakhi House)
Plot No-27/4, K.P.-3,
G. B. Nagar.

--नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अंधेरे उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अंधेरे रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति दोरखेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति दोरखेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत सभरत भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवा जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एनजीटी0, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में धारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अंधेरे रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्काषण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके दोरखेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अड्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरुपित की जा सकती है।



नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /भूजलवि/एनजीटी0/एक्ट(एनओसी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 85 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-879 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25


M/S EZ Stage
Hostel (Picasso's Haven)
Plot No-A-10, K.P. 3,
G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित वा अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राक्धानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12,27,28 एवं 29 में प्राक्धान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति कोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति कोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राक्धानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgdwonline.in विकसित किया गया है।

सा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यार्थी प्रकरण औ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा राबमसिंबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा राबमसिंबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgdwonline.in वा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके कोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अड्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेखित की जा सकती है।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिरिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गौल्क लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 84 / मू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25

M/S Annpurna
Hostel (Block-B)
Plot No-A-B, APT
Addul Khasam.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) निवमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अर्ध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अर्ध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यार्थी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बन्धन अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अर्ध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अनियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 93 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25

M/s Annpurna Hostel
(Block-A), Plot No- C-26,
K.P.-III, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विधायकीय प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निरान्त सिंह बनाम अनापूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्त्रिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमिस्त्रिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गेटक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 82 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25


M/s Pakhi Nest,
Plot No-D-45, KP-III
G. B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राक्धानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राक्धानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशाना सिंह बनाम अल्पपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गौल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 81 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25


M/s Bright STA,
Near Sangbi Palace,
K.P. - III, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, निबंधन तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अंधे उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अंधे रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरेवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरेवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संग्रह्य उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करावा जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यार्थी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निरान्त सिंह बनाम अल्पपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सर्वमर्सिबल के माध्यम से अंधे रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सर्वमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरेवेल को सील करते हुये उ0ए0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹50,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिविधित की जा सकती है।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गौल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 80 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/25


m/s Casa Bella
Lining, Plot No-D-9,
K.P. -IIPPP, VSK Garden
G. B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरटेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरटेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

श्री० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सचनसिंबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्वहन अथवा सचनसिंबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरटेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा पौंच लाख रुपये (₹10,50,000) तक की जुर्माने की राशि अधिशोधित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंशल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 79 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 4/10/23


m/s A.B. Hostel
Plot No-2 C,
R. P. -III, G.B. Nagar

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुसंधानिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत करना तथा ट्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन न हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अड्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिसूचित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 78 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0-679/2023/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक

M/s Magadh Inn
Plot No- C-6,
K.P.-III.C.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समवर्द्ध संवाहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरथ अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारणीय प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशाना सिंह बनाम अल्पपूर्ण होस्टल व अन्य में फारिस आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशन के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिशन स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाएं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिकाारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 78 /भू०ज०वि/एन०जी०टी०-679/2023/एवट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/s Magadh Inn
Plot No- C-6,
K.P.-III, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अर्ध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अर्ध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वॉरवेल 2-5 लाख तक जुर्माने अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वॉरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जाएगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यार्थी प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अर्ध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वॉरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिवारित की जा सकती है।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /भू०ज०वि/एन०जी०टी०/एवट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- किन्तुलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादर सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गीतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18, अंसल गोलक लिंक-2
गीतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 77 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गीतमबुद्धनगर 4/10/23 दिनांक


M/S Raksha Boys
Hostel, Plot No-12A,
H-P-III, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुयागिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकैष उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अकैष रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गीतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिपिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारणीय प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अननपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिर्षिबल के माध्यम से अकैष रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमिर्षिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेपित की जा सकती है।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गीतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गीतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गीतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गौतम लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 76 / मू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक


M/s Siddhi
Vinayak Hostel,
Plot No-C-24, IIMT Road.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बंधित या अनुबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिये कर्मान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा इलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मू० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचारणीय प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 गिराना सिंह बनाम अननपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सवमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सवमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिशेषित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तदुदिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसूचारी अभियन्ता,
भूमर्ग जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 75 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:


M/S Hostel
Royal Plaza
Royal Paradise
Girls Hostel.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, निबंधन तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूमर्ग जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूमर्ग जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमर्ग दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अर्ध उपयोग एवं भूमर्ग जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूमर्ग जल का व्यवसाय अथवा अर्ध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वॉरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वॉरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विधायकीय प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निरान्त सिंह बनान अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आरके द्वारा सबमिनिबल के माध्यम से अर्ध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिनिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaleetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश बिज पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वॉरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूमर्ग जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेखित की जा सकती है।


नोटल अधिकारी
जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूमर्ग जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 75 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/23 दिनांक:


M/S Hostel
Royal Plaza
Royal Paradise
Grinde Hostel.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संवाहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकैथ उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अकैथ रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरतध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत करना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन न हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

श्री एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधायकीय प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निरन्तर सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्त्रिबल के माध्यम से अकैथ रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्त्रिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेखित की जा सकती है।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गौल्क लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक-74 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक


M/S Nalanda
House (Boys Hostel)
Plot No - 2 C, K.P. - III

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकैथ उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अकैथ रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कतना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अकैथ रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 73 / मूज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 नांक.

M/S Malanda Living
Plot No-25/03A,
R.P. -III

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुसंधानिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जाएगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सख्त उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशाना सिंह बनाम अल्पपूर्ण होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा पौंच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मूज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाएं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादर सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

/

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 72 / भूज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 नांक:

M/S Stanza Living
(Chicago House),
Plot No-39 B, K.P-III

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समवर्द्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अक्षय उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सश्रेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन न हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की कारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

श्री एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विधायक प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सवर्नर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सवर्नर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिवारित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गौल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 71 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक


M/s Stanza Living
(Adelaide House),
Plot No-28/1A,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं सम्यक् संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। हासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अकैच उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अकैच रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक) के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

या0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निरान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अकैच रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिशोधित की जा सकती है।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गौल्ड लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 70 / भूज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक

M/s. Stanza'
Living (Paris House),
Plot No-1/A3, K.P.III

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, निबंधन तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राक्धानों के सुगम एवं समवर्द्ध संवाहन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) विध्यावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्राक्धान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वॉरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वॉरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपरुध अधिनियम के उदर्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राक्धानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनसाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विपाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 विशाल सिंह बनान अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्त्रिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्वहन अथवा सबमिस्त्रिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वॉरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिविहित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 69 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/23 दिनांक:


M/s E2 Stays
Hostel (Kalam Cottage-2),
Plot No-5A, K.P.-III

--नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिलेपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सदर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,असल गोलक सिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 68 / भूज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25 दिनांक:

M/S. EZ Stays
Hostel (Einstein House),
Plot No-04 D, G.B. Nagar.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुबानिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं सम्यक् संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनाधिकृत प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अथैव उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अथैव रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरन्ध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कतया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधायकीय प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अनापूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अथैव रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कासन अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या विश्वेस मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करके हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (रु0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिनिधि- निम्नालिखित को सादर सूचनाएं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूमर्ज जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 66 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/25नांक


M/S Annpurna Hostel (Block-E),
Plot No. C-32, Knowledge Park-2,
Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूमर्ज जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूमर्ज जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमर्ज दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूमर्ज जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूमर्ज जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निश्चित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धराराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत करना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निराला सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिशन के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि कर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिशन स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूमर्ज जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूमर्ज जल प्रबन्धन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹ 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



नोटल अधिकारी
जिला भूमर्ज जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाएं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूमर्ज जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूमर्ज जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

1
नोटल अधिकारी
जिला भूमर्ज जल प्रबन्धन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंराल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 85 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0-679 / 2023 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर 14/10/23


M/S. Annapurna,
Hostel (Block-D),
Plot No-04, Nimoli,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अथैव उपयोजन एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अथैव रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। आत जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन न हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की फारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

सा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधायकीय प्रकरण ओ0ए0 संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्वपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सचमसिबल के माध्यम से अथैव रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सचमसिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो सम्बन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पाँच लाख रुपये (₹0 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।

1
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अनियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18,अंसल गौल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 64 / भू०ज०वि / एन०जी०टी०-679 / 2023 / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर 4/10/23 दिनांक:


M/S. Annpurna
Hostel, (Blok-H),
Plot No-96, Nimoli.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समवर्द्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वॉरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वॉरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगुना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपरान्त अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवा जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचारशील प्रकरण ओ०ए० संख्या-679/2023 निशान्त सिंह बनाम अन्नपूर्णा होस्टल व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना है। संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सबमिस्बल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमिस्बल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 10 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में आपके वॉरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिस्त भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् द्वारा पंद्रह लाख रुपये (रु० 5,00,000) तक की जुर्माने की राशि अधिरोपित की जा सकती है।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्,
गौतमबुद्धनगर।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 090/4111-4/147-60/25

दिनांक : 17/10/25

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता/नोडल जिला भूगर्भ जल प्रबन्धक परिषद
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर
ए0ई0- 18, असंल गोल्फ लिंक-2,
दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-679/2023 (ई0ए0 19/2025) निशांत सिंह बना अन्नपूर्णा हास्टल व अन्य में पारित आदेशो के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्रांक 84 एन0जी0टी0 679/भू0जा0वि0/एक्ट (एन0जी0टी0 679/2023)-25 गौतमबुद्धनगर दिनांक 09.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र में प्रश्नगत छात्रावासो को उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत छात्रावासो को नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त की कार्यवाही (एन0ओ0सी0 निर्गमन की स्थिति, जुर्माना अधिरोपण, बोरवेल सीलिंग की कार्यवाही) इस कार्यालय में अप्राप्त है। अग्रेतर अवगत कराना है कि 27 छात्रावासो का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा कराया गया, जिन छात्रावासो में भूगर्भ जल निष्कर्षण किया जा रहा है, उनकी सूची संलग्न है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत छात्रावासो का निरीक्षण करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण को प्रेषित की जा सके।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

| Sl. No. | Name & Address | Date of Inspection | Nos. of Borewell |
|---------|--|--------------------|------------------|
| 1 | M/s Siddhi Vinayak Hostel, Plot No.-C-24, IIMT Road, Near NPCL Sub Station, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 2 | M/s Stanza Living (Chicago House), Plot No.- 39B, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar | 22.09.2025 | 2 |
| 3 | M/s Stanza Living (Adelaide House), Plot No.-28/1A, Knowledge Park-3, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 2 |
| 4 | M/s Stanza Living (Paris House), Plot No.-1/A3, Knowledge Park-1, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 5 | M/s Shiv Shakti Home, Plot No.-31C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | 26.09.2025 | - |
| 6 | M/s Pakhi Next, Plot No-D45, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | 22.09.2025 | - |
| 7 | M/s Magadh Inn Plot No-C6, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 8 | M/s Bright STA Plot No-D28, Near Sangabi Palace Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | 26.09.2025 | 2 |
| 9 | M/s Nalanda House (Boys Hostel) Plot No-2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | 22.09.2025 | 3 |
| 10 | M/s Annapurna Hostel (Block-D), Plot No.- 04, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 11 | M/s Annapurna Hostel (Block-G), Plot No.- 94, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 12 | M/s Annapurna Hostel (Block-H), Plot No.- 96, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | - |
| 13 | M/s EZStays Hostel (Einstein House), Plot No.-04D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 14 | M/s EZStays Hostel (Kalam Cottage-2), Plot No.-5A, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 15 | M/s EZStays Hostel (Bose Cottage), Plot No.-91, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 16 | M/s Nalanda Living, Plot No.-25/03A, Knowledge Park-3, Near G.L. Bajaj, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 17 | M/s Hostel Royal Plaza/Royal Paradise Girls Hostel, Plot No.-10D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 18 | M/s Raksha Boys Hostel, Plot No.-12A, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | 26.09.2025 | 3 |
| 19 | M/s Casa Bella Living, Plot No.-D-9, Knowledge Park-2, Opp. VSK Garden, Greater Noida, G.B. Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 20 | M/s Vanya Residency, Plot No.-8B, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 21 | M/s White House Hostel, Plot No.- 04A/1, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | 26.09.2025 | 1 |
| 22 | M/s Simran Girls Hostel, Plot No.-C25, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 23 | M/s AS Boys Hostel/EZ-Stays (Bose Cottage-2), Plot No.-A39, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar | 22.09.2025 | 2 |
| 24 | M/s Annapurna Hostel (Block-E), Plot No.- C-32, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 25 | M/s Galaxy Residency, Plot No.- A2, Knowledge Park-3, Near IIMT College, Greater Noida, G.B. Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 26 | M/s AB Hostel, Plot No.-2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | 22.09.2025 | 1 |
| 27 | M/s Annapurna Hostel (Block-B), Plot No.- A-8, APJ Abdul Kalam Road, Behind Gurudwara, Near Sharda University, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | 26.09.2025 | - |

| Sl. No. | Name & Address | Remark |
|---------|---|--|
| 1. | M/s Stanza Living (Chicago House), Plot No.- 39B, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025 |
| 2. | M/s Annapurna Hostel (Block-H), Plot No.- 96, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar. | UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025 |
| 3. | M/s EZStays Hostel (Kalam Cottage-2), Plot No.- 5A, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025 |
| 4. | M/s Annapurna Hostel (Block-B), Plot No.- A-8, APJ Abdul Kalam Road, Behind Gurudwara, Near Sharda University, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has revoked Show Cause Notice vide letter dt. 29.10.2025 |
| 5. | M/s Siddhi Vinayak Hostel, Plot No.-C- 24, IIMT Road, Near NPCL Sub Station, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 6. | M/s Stanza Living (Adelaide House), Plot No.-28/1A, Knowledge Park-3, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 7. | M/s Stanza Living (Paris House), Plot No.- 1/A3, Knowledge Park-1, Near Jagat Farm, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 8. | M/s Shiv Shakti Home, Plot No.-31C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 9. | M/s Pakhi Next, Plot No-D45, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 10. | M/s Magadh Inn Plot No-C6, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 11. | M/s Bright STA Plot No-D28, Near Sangabi Palace Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 12. | M/s Nalanda House (Boys Hostel) Plot No- 2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 13. | M/s Annapurna Hostel (Block-D), Plot No.- 04, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 14. | M/s Annapurna Hostel (Block-G), Plot No.- 94, Nimoli, Knowledge Park-3, Near Dronacharya Institute, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |

| | | |
|-----|--|--|
| 15. | M/s EZStays Hostel (Einstein House), Plot No.-04D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 16. | M/s EZStays Hostel (Bose Cottage), Plot No.-91, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 17. | M/s Nalanda Living, Plot No.-25/03A, Knowledge Park-3, Near G.L. Bajaj, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 18. | M/s Hostel Royal Plaza/Royal Paradise Girls Hostel, Plot No.-10D, Knowledge Park-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 19. | M/s Raksha Boys Hostel, Plot No.-12A, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 20. | M/s Casa Bella Living, Plot No.-D-9, Knowledge Park-2, Opp. VSK Garden, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 21. | M/s Vanya Residency, Plot No.-8B, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 22. | M/s White House Hostel, Plot No.- 04A/1, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 23. | M/s Simran Girls Hostel, Plot No.-C25, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 24. | M/s AS Boys Hostel/EZ-Stays (Bose Cottage-2), Plot No.-A39, Knowledge Park- 2, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 25. | M/s Annapurna Hostel (Block-E), Plot No.- C-32, Knowledge Park-2, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 26. | M/s Galaxy Residency, Plot No.- A2, Knowledge Park-3, Near IIMT College, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |
| 27. | M/s AB Hostel, Plot No.-2C, Knowledge Park-3, Greater Noida, G.B. Nagar | UPPCB has issued closure order vide letter dt. 29.10.2025. |

Non-Compliant DG Set established- 23

Hostels Compliant DG Set established- 01 Hostel

No DG set found- 02 Hostels

Hostels found Closed- 01 Hostel